झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–61/2020

महेंद्र साहा उर्फ महेंद्र प्रसाद साहा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. मंजू कुमारी .... विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री राजीवा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री रजनीश वर्धन, ए0पी0पी0।

2/15.01.2020 श्री राजीवा शर्मा, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री रजनीश वर्धन, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, हीरानपुर थाना काण्ड संख्या 36/2019 के सम्बन्ध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने शादी के बहाने सूचक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। बाद में उन्होनें शादी करने से इन्कार कर दिया था।

सूचक द्वारा किए गए विवाद को, 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उसके दर्ज किए गए बयान में समर्थित किया गया है, सूचक एक व्यस्क महिला प्रतीत होती है और उसने

याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई यौन प्रगति को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्त्ता 14.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पाकुड़ के संतुष्टि पर हीरानपुर थाना काण्ड संख्या 36/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)